—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांक-21.02.2021

थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित पति, सास-ससुर गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित पति, सास-ससुर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13.02.2021 को थाना विन्ध्याचल पर वादी कृष्ण गोपाल मौर्या पुत्र कालिन्दी प्रसाद मौर्या निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज मीरजापुर द्वारा भतीजी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा जहर देने, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में बड़ी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.02.2021 को व0उ0नि0 केदारनाथ मौर्या तथा उ0नि0 अनिल कुमार विश्वकर्मा चौ0प्र0 गैपुरा मय हमराह उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, हे0का0 प्रवीण कुमार राय, हे0का0 लक्ष्मण शंकर यादव, का0 अजय प्रताप सिंह, का0 अनुराग व म0का0 सगुन कुमारी द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1- रवि कुमार मौर्य(पति) पुत्र ठाकुर प्रसाद मौर्य, 2- ठाकुर प्रसाद मौर्य(ससुर) पुत्र रामलाल मौर्य, 3- रजवन्ती देवी(सास) पत्नि ठाकुर प्रसाद समस्त निवासीगण लेहड़िया कामापुर विजयपुर थाना विन्ध्याचल मीरजापुर को शीतला माता मन्दिर विजयपुर मेन गेट रोड से समय 09.30 बजे गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।